

संख्या 1835 / 11(2)/15-03(प्रौद्योगिकी) / 2015

प्रपक,

मोहिन्द सिंह ह्यांगी,
मार्ग अधिकारी,
सिन्धुखण्ड शासन।

सहायक,

मुख्य अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
सिन्धुखण्ड।

लोक निर्माण उपभाग-2

सहस्रद्वार दिनांक मार्च, 2016

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2014-15 में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणास्तर्गत लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न 22 कार्यो की शीप चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

सुपरीकृत निर्माण के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणास्तर्गत संचालित विवरणानुसार प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु उपरोक्त कसय गये विभिन्न 22 कार्यो के प्रारम्भिक आगणनों, जिनमें कुल लम्बाई 81.50 किमी0 + 10 सतु तथा लागत ₹ 769.25 लाख है, पर टी0ए0सी0 विस्तृत औचित्यपूर्ण माह गई लागत ₹ 769.25 लाख (₹ सात करोड़ उन्सठ लाख, पच्चीस हजार पांच) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए तात्तु वित्तीय वर्ष 2014-15 में संलग्नक क कोडी0 सी0-5 पर उल्लिखित विवरणानुसार प्रथम कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात् कुल 22 कार्यो हेतु ₹ 2.20 लाख (₹ दो हजार दो सौ हजार मात्र) की धनराशि, व्यय हेतु आधिक निवर्तन में रखे जाने की मस्यविधि भी राज्यपाल निम्नांकित शर्तो की अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(i)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रशासकीय कार्यो को समयावद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा। तदनुसार शीप चरण सं0-1764 / 11(2) / 10-17(सामान्य) / 2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परिचोचना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परिचोचना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)- आगणनों में उल्लिखित दरों की विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित करने की जा दर सौदय्यत आफ रिट में स्वीकृत नहीं है, अथवा वास्तव भाव से ली गई है, की स्वीकृति पर, विवरणानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)- कार्यो में उक्त ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नाम है, स्वीकृत नाम से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में वचन हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करने समय किया जायेगा।

(iv)- कार्यो के पूरे समय औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मुख्य मन्त्रय रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित कार्य-विशिष्टियों के अनुकूल ही कार्यो का समायोजित करते समय पावने कम्ना सुनिश्चित करे।

(v)- आगणनों में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्राकृतिक संरक्षण-2003 एवं उक्त के विषय में समय समय पर निम्न समस्त विभा निदेशों का बंधन अनुपालन किया जायेगा इसके अतिरिक्त अन्य अनुकूल न केवल के न केवल के अनुपालन किया जायेगा।

(vii)- मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0-2047 / XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्मित आदेशों की कार्य करते समय या आगणन में कितने समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii)- उक्त निर्माण स्वीकृत आगणनों में एच0पी0सी0 अभि अधिग्रहण, युटिलिटी अधिग्रहण आदि मदों के सम्बन्ध में प्रशासकीय व्यय अनुदान सं0-22-लेखापीठक-5054 सडकी तथा सतुओं पर पुंजीगत परित्यज-04 जितना तथा अन्य सडक- आयो निर्माण-800-अन्य व्यय-05-सडक/मार्ग/रस्ते आदि हेतु भूमि अधिग्रहण-00-24 बृहत् निर्माण कार्य में निर्माण आगणन-व्यय के परिचालित निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

(10/10/10)

सारांश: संख्या- 1835/111(2)/15-03(मु0/0310)/2015 दिनांक 17 मार्च, 2015 का संलग्नक

(धनराशि लाख रु में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	लम्बाई किमी० में	मी०पूरवी० द्वारा अनुमानित लागत	मातृ मिलीय वर्ष में व्यय हेतु अनुमानित धनराशि
1	2	3	4	5
1	मा०मु०सी० सं० 816/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जोगेश्वर में चरासी से गंगोत्री आनुवीक निर्माण, गेटा बड़ीकी अवरोधना होने से चरासी से गंगोत्री तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण एवं 24 मी० से 100 मी० तक गहराई से नवनिर्माण कार्य।	12.00 + 24 mt	94.13	0.10
2	मा०मु०सी० सं० 814/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जोगेश्वर में ग्राम बालीखेत से राजौरी के मध्य पंचार नदी में 60मी० स्थान खुला करने का नवनिर्माण कार्य।	60 mt	4.02	0.10
3	मा०मु०सी० सं० 901/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जोगेश्वर में शिवताला से चौरा मोहरी अर्थात् 100 मी० मोटर मार्ग का नवनिर्माण।	4.00	36.74	0.10
4	मा०मु०सी० सं० 908/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जोगेश्वर में चंदगुडा से शपनिगारा तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण एवं 10 मी० से 20 मी० अर्थात् 10 मी० मोटर से नवनिर्माण।	4.00 + 10 mt	38.03	0.10
5	मा०मु०सी० सं० 900/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र जोगेश्वर में जिला- जोगेश्वरी मोटर मार्ग के विधानसभा क्षेत्र चरासी नदी पर 72 मी० विस्तार करने से नवनिर्माण।	72 mt	7.92	0.10
6	मा०मु०सी० सं० 701/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जोगेश्वर में दोलाघाट - गुरना मोटर मार्ग का निर्माण।	5.00 + 24 mt	44.16	0.10
7	मा०मु०सी० सं० 261/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जोगेश्वर में शिवताला से चौरा मोहरी अर्थात् 100 मी० मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3.00	27.64	0.10
8	मा०मु०सी० सं० 913/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा में विकासखण्ड शिवगंगा के तहसील ग्राम के समीप जोगेश्वर नदी पर 36 मी० स्थान पर मोटर से नवनिर्माण।	36 mt	3.15	0.10
9	मा०मु०सी० सं० 890/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा में जिला- जोगेश्वरी मोटर मार्ग के विधानसभा क्षेत्र चरासी नदी पर 10 मी० स्थान पर मोटर से नवनिर्माण।	3.00 + 18 mt	25.61	0.10
10	मा०मु०सी० सं० 885/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा में गैरास से विद्या नदी मोटर मार्ग का निर्माण।	3.00	24.69	0.10
11	मा०मु०सी० सं० 655/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र धनसाली में शिवगंगा नदी पर विस्तार से मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	5.00	53.91	0.10
12	मा०मु०सी० सं० 657/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र धनसाली में मोहोली - कांठाल मोहोली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3.00	32.35	0.10